BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 12 फरवरी 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अंग विक्षेप के आरोपी को 03 वर्ष 04 माह का कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सूरजपाल पुत्र काले निवासी ग्राम बरोली वासुदेवपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना स्याना क्षेत्र निवासी दो नाबालिक लड़कियों उम्र करीब- 06 वर्ष व 07 वर्ष के साथ अंग विक्षेप करने की दुस्साहिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 02.10.2020 को थाना स्याना पर मुअसं- 402/20 धारा- 354बी, 363 भादवि व 9(M)/10 व 14 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.10.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 12.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सूरजपाल को 03 वर्ष व 04 माह का कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री धर्मेन्द्र राघव, श्री भरत शर्मा व श्री वरुण कौशिक का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर